



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021

अग्रहायण 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

संख्या 2009/आठ-1-21-17 बैठक/2018 टी0सी0-VI

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

सा०प०नि०-94

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2021) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं :-

उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन (प्रथम संशोधन)

नियमावली, 2021

1-यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन संक्षिप्त नाम (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

2- उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन नियमावली, 2021 में,—  
एक-शब्द "अध्यादेश" जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द "अधिनियम" रख

सामान्य  
संशोधन

दिया जाएगा।

दो-शीर्षक से पूर्व आने वाले पैरा में, शब्द, अंक और प्रतीक "उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2021)", के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन अधिनियम, 2021 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 2021)" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,  
दीपक कुमार,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2009/VIII-1-21-17 Baithak/2018-TC- VI, dated December 17, 2021 :

No. 2009/VIII-1-21-17 Baithak/2018-TC-VI  
Dated Lucknow, December 17, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 44 of the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act no. 16 of 2021) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021:

THE UTTAR PRADESH REGULATION OF URBAN PREMISES  
TENANCY (FIRST AMENDMENT) RULES, 2021

- |                   |  |
|-------------------|--|
| Short title       | 1. These rules shall be called the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy (First Amendment) Rules, 2021.   |
| General amendment | 2. In the Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Rules, 2021,—<br>i. for the word "Ordinance" wherever occurring, the word "Act" shall be <i>substituted</i> ;<br>ii. in the paragraph occurring before the heading, for the words, figures and symbols "Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Ordinance, 2021 (U.P. Ordinance no. 3 of 2021)", the words, figures and symbols "Uttar Pradesh Regulation of Urban Premises Tenancy Act, 2021 (U.P. Act no. 16 of 2021)" shall be <i>substituted</i> . |

By order,  
DEEPAK KUMAR,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 473 राजपत्र-2021-(1081)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 6 सा० आवास एवं शहरी नियोजन-2021-(1082)-500 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।